अनुसूची १४ - फार्म सं० ५६३

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ।
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

ई0सी0 एक्ट वाद संख्या–156/2008

धारा–6 (A) ई0सी0 एक्ट अन्तर्गत

सरकार द्वारा प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व

..... आवेदक

बनाम

बैजनाथ उराँव, जन वितरण प्रणाली दुकानदार,
सा0–वीरपुर पंचायत, थाना–मुफस्सिल (रानीपतरा), पूर्णियाँ

.....विपक्षीगण

आ दे श

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के पत्रांक–665/आपूर्त्ति, दिनांक 01.11.2008 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी के विरूद्व प्रारंभ की गई है। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी कि विपक्षी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सामग्री की आपूर्त्ति नहीं करते है। किरासन तेल कम मात्रा में एवं अधिक मूल्य पर दी जाती है तथा उपभोक्ताओं के साथ शराब पीकर दुर्व्यवहार करते है। इसके अतिरिक्त दिनांक 20.09.2008 को स्थानीय लोगो द्वारा कालाबाजारी के उद्देश्यक से 04 ड्राम किरासन तेल ले जाने के क्रम में पकड़ा गया और जप्त तेल को स्थानीय थाना में रखा गया है। इस धटना की जॉच प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कसवा से करवाई गई। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कसवा प्रतिवेदित किये है कि थाना में जप्त किरासन तेल 816 लीटर के अतिरिक्त 3896 लीटर किरासन तेल कम पाया गया। फलस्वरूप अनुमंडल सदर के ज्ञापांक 622/आ0, दिनांक 01.10.2008 द्वारा विपक्षी के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया।

विपक्षी का कथन है कि वह वर्ष 2000 ई0 से जन वितरण प्रणाली की दुकान चला रहा है। किन्तु आठ वर्षों से कोई शिकायत उसके विरूद्व नही हुई है। वर्तमान मुखिया हरि प्रसाद महलदार से मतभेद होने के कारण उसे मुसीबत झेलनी पड़ रही हैं। दिनांक 19.09.2008 को जब वे किरासन तेल उठाकर धर से जा रहे थे तब रास्ते में मुखिया एवं कुछ असामाजिक तत्व नौ ड्राम तेल जबरन अपने दरवाजे पर उतार लिए तथा सभी रजिस्टर एवं नगद 2050.00 रू0 छीनकर ट्रेक्टर ड्राईवर को भी जान से मारने की धमकी देने लगे। मुखिया नौ ड्राम तेल में से काफी तेल निकालकर बेच चुके है। फलस्वरूप विपक्षी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मुखिया के विरूद्व नालसी वाद सं0 3214/2008 दायर किया है। चुनाव के वाद से मुखिया कई बार नाजायज रूप से किरासन तेल ले चुके है। इस मामले में भी पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, के न्यायालय में द0प्र0सं0–107 के अन्तर्गत वाद सं0–672 एम/08 प्रारंभ हुआ। छीने

A

अनुसूची १४ - फार्म सं० ५६३

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ ।
1	2	3
	गये कागजात के बदले अभी भी मुखिया की ओर से भारी रकम की मांग की जा रही है। विपक्षी इस मामले में निर्देष है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि वाद की सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करने की कृपा की जाय। निर्धारित तिथि दिनांक 30.09.2011 को सुनवाई की गयी। विपक्षी अनुपस्थित थे। पूर्व मे भी दिनांक 17.05.2010 को अनुपस्थित पाये गये। पुनः दिनांक 30.07.2010 को अनुस्थित पाये जाने की स्थिति में उन्हें अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। मौका देने के बाबजूद भी विपक्षी लगातार अनुपस्थित रहे एवं सुनवाई के दिन भी अनुपस्थित थे। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। पुनः दिनांक 25.05.2012 को सुनवाई हेतु रखा गया। उपरोक्त तथ्यो, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने के वाद स्पष्ट है कि जप्त किरासन तेल कालाबाजारी के नियत से भेजा गया था। इस कारण जप्त किरासन तेल को राजसात करने के स्वीकृति दी जाती है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है कि जप्त किरासन तेल को संबंधित प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के माध्यम से बिक्री करवाकर बिक्री राशि चलान द्वारा कोषागार में जमा करवाकर सुचित करेगे। इसके साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं। *लेखापित एवं संशोधित।* समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	